# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अति आवश्यक

पत्रांकः SHSB/PM/512/2016/Part-II/ 5521

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/प्रचार्य, डेन्टल कॉलेज/संक्रामक रोग अस्पताल।
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
सभी निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।
निदेशक, बिहार राज्य मासिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान, कोईलवर, भोजपुर।

पटना, दिनांक 22/12/2022

**विषय: Bio-medical Equipment Management & Maintenance Programme (BMMP) के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर एक अन्य नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।**

प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 3384, दिनांक 02.09.2022

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध Bio-medical Equipments के Comprehensive Maintenance तथा Management के लिए BMSICL द्वारा निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी M/s Kirloskar Technologies Pvt.Ltd. को चयनित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित उपकरणों के Taging, Maping एवं उपकरणों के अनुरक्षण (Maintenance) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलों को दिये गये है। इसके तहत सेवा प्रदाता एजेन्सी को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में भ्रमण कर प्रथम चरण में Taging एवं Maping करने के निदेश के साथ ही उपकरणों का रख-रखाव/अनुरक्षण (Maintenance) करने का निदेश दिया गया है। यह कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MCH) से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) स्तर तक लागू है। BMMP कार्यक्रम की समीक्षा करने के क्रम में पाया गया कि सेवा प्रदाता एजेन्सी के BioMedical Engineer एवं स्वास्थ्य संस्थान के संबंधित पदाधिकारियों में इस कार्यक्रम के प्रति समन्वय नहीं रह पाने के कारण BMMP कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों को अभीतक पूर्ण नहीं किया जा सका है।

2. अतएव BioMedical Maintenance Programme के विभिन्न गतिविधियों के ससमय पूर्ण होने एवं सूचारू रूप से अनुरक्षण संबंधी कार्यो की निरंतरता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक संस्थान स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाए। **जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को जिला नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।** इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान के लिए अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे, जो अपने स्वास्थ्य संस्थान में BMMP कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगें।

3. अतः निम्न प्रपत्र में जिला के APHC स्तर तक के Active एवं Functional स्वास्थ्य संस्थानों का नाम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम, दो नोडल पदाधिकारी का नाम एवं उनका मोबाईल नम्बर आदि सूचनाओं की प्रविष्टि कर हस्ताक्षरित प्रति एवं सॉफ्ट प्रति दिनांक 23.12.2022 तक अचूक रूप से drugcell@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

| Lis of Active & Functional Health Facilities up to APHCs | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the District: | | | | | | | | |
| Sl. No. | Name of Active and Functional Health Facility | Facility Type (MCH, DH, SDH, RH, CHC, PHC, APHC) | Name of the Medical Officer I/c of the Facility | Contact Number | Name of Nodal officer-1 for BMMP | Contact Number | Name of Nodal officer-2 for BMMP | Contact Number |
| | | | | | | | | |

4. जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) स्तर तक के सभी क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थानों का नाम उपरांकित प्रपत्र में स्पष्टता के साथ अंकित किया जाना अनिवार्य है। यह ध्यान रखा जाए कि उपरांकित प्रपत्र में कोई भी क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थान का नाम किसी भी परिस्थिति में छूटने न पाये अन्यथा वैसे संस्थान BMMP कार्यक्रम से आच्छादित नहीं हो पायेंगे।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)

# राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

**अति आवश्यक**

पत्रांकः SHSB/PM/512/2016/Part-II/...............

सेवा में,

<u>सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/प्रचार्य, डेन्टल कॉलेज/संक्रामक रोग अस्पताल।</u>
<u>सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।</u>
<u>सभी निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना।</u>
<u>निदेशक, बिहार राज्य मासिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान, कोईलवर, भोजपुर।</u>

पटना, दिनांक..................

**विषयः Bio-medical Equipment Management & Maintenance Programme (BMMP) के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर एक अन्य नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।**

प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 3384, दिनांक 02.09.2022

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध Bio-medical Equipments के Comprehensive Maintenance तथा Management के लिए BMSICL द्वारा निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता एर्जेसी M/s Kirloskar Technologies Pvt.Ltd. को चयनित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के उक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित उपकरणों के Taging, Maping एवं उपकरणों के अनुरक्षण (Maintenance) के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सभी जिलों को दिये गये है। इसके तहत सेवा प्रदाता एजेन्सी को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में भ्रमण कर प्रथम चरण में Taging एवं Maping करने के निदेश के साथ ही उपकरणों का रख-रखाव/अनुरक्षण (Maintenance) करने का निदेश दिया गया है। यह कार्यक्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MCH) से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) स्तर तक लागू है। BMMP कार्यक्रम की समीक्षा करने के क्रम में पाया गया कि सेवा प्रदाता एजेन्सी के BioMedical Engineer एवं स्वास्थ्य संस्थान के संबंधित पदाधिकारियों में इस कार्यक्रम के प्रति समन्वय नहीं रह पाने के कारण BMMP कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों को अभीतक पूर्ण नहीं किया जा सका है।

2. अतएव BioMedical Maintenance Programme के विभिन्न गतिविधियों के ससमय पूर्ण होने एवं सूचारू रूप से अनुरक्षण संबंधी कार्यो की निरंतरता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक संस्थान स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाए। **जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को जिला नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।** <u>इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान के लिए अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे, जो अपने स्वास्थ्य संस्थान में BMMP कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगें।</u>

3. अतः निम्न प्रपत्र में जिला के APHC स्तर तक के Active एवं Functional स्वास्थ्य संस्थानों का नाम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का नाम, दो नोडल पदाधिकारी का नाम एवं उनका मोबाईल नम्बर आदि सूचनाओं की प्रविष्टि कर हस्ताक्षरित प्रति एवं सॉफ्ट प्रति दिनांक 23.12.2022 तक अचूक रूप से drugcell@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

| Lis of Active & Functional Health Facilities up to APHCs | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the District: | | | | | | | | |
| Sl. No. | Name of Active and Functional Health Facility | Facility Type (MCH, DH, SDH, RH, CHC, PHC, APHC) | Name of the Medical Officer I/c of the Facility | Contact Number | Name of Nodal officer-1 for BMMP | Contact Number | Name of Nodal officer-2 for BMMP | Contact Number |
| | | | | | | | | |

4. जिलान्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (APHC) स्तर तक के सभी क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थानों का नाम उपरांकित प्रपत्र में स्पष्टता के साथ अंकित किया जाना अनिवार्य है। यह ध्यान रखा जाए कि उपरांकित प्रपत्र में कोई भी क्रियाशील स्वास्थ्य संस्थान का नाम किसी भी परिस्थिति में छूटने न पाये अन्यथा वैसे संस्थान BMMP कार्यक्रम से आच्छादित नहीं हो पायेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक- SHSB/PM/512/2016/Part-II /5521 पटना, दिनांक-22/12/2022

**प्रतिलिपि :**

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वा. स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी-सह-जिला नोडल पदाधिकारी BMMP को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- M/s Kirloskar Technologies (P) Ltd., New Delhi-110024 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/12/22

कार्यपालक निदेशक


परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org